न्यायालयः—न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला बालाघाट, (पीठासीन अधिकारी—अमनदीप सिंह छाबडा)

<u>आप.प्रक.कमांक—1202 / 2013</u> <u>संस्थित दिनांक—19.12.2013</u> <u>फाई. क.234503000362013</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बैहर जिला—बालाघाट (म.प्र.)

// <u>la to es</u> //

गोकुल पिता सुद्दु पंचतिलक, उम्र–37 वर्ष निवासी करवाही, थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

– – <u>अभियुक्त</u>

01— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—456, 354 का आरोप है कि उसने घटना दिनांक 30.11.2013 को शाम के 8—9 बजे के बीच ग्राम करवाही प्रार्थिया के घर के पीछे खोली के पास, थाना बैहर अंतर्गत फरियादिया सकुनबाई के रहवासी मकान (खोली) जो साधारणतया मानव निवास के काम में आता था, में सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पूर्व प्रवेश कर, रात्रि में प्रच्छन्न गृह अतिचार / गृह भेदन किया तथा फरियादिया सकुनबाई की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से अपने हाथों से फरियादिया का गला एवं हाथ पकड़कर हमला किया / आपराधिक बल का प्रयोग किया।

02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया ने दिनांक 01.12.13 को थाना बैहर में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह दिनांक 30.11.12 की रात्रि 8—9 बजे खाना बनाकर पति के साथ खाना खाकर टी.व्ही. देख रही थी, थोड़ी देर बाद घर के पीछे बाथरूम गयी, बाथरूम के बाजू की खोली तरफ देखने पर खोली का दरवाजा खुला था, जिसे बंद करने गयी तो खोली के अंदर से गोकुल प्रसाद निकला और बुरी नियत से उसके गले को एक हाथ से पकड़कर दाहिने हाथ को दूसरे हाथ से मरोड़ दिया और चिपकने लगा, चिल्लाने पर पति राजेन्द्र ने

उसे छुड़ाया। उसके चिल्लाने पर धीरिसंह और कलमिसंह आये, जिन्हें देखकर भाग गया। रात होने से दूसरे दिन रिपोर्ट दर्ज की गई। उक्त रिपोर्ट के आधार अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। मौका—नक्शा, जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध चालान क्रमांक 159/13 दिनांक 16.12.13 तैयार किया जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—456, 354 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फॅसाया जाना प्रकट किया। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

04-प्रकरण के निराकरण हेत् विचारणीय बिन्दू निम्न है:-

- 01. क्या आरोपी ने घटना दिनांक—30.11.2013 को शाम के 8—9 बजे के बीच ग्राम करवाही प्रार्थिया के घर के पीछे खोली के पास, थाना बैहर अंतर्गत फरियादिया सकुनबाई के रहवासी मकान (खोली) जो साधारणतया मानव निवास के काम में आता था, में सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पूर्व प्रवेश कर, रात्रि में प्रच्छन्न गृह अतिचार / गृह भेदन किया ?
- 02. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया सकुनबाई की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से अपने हाथों से फरियादिया का गला एवं हाथ पकड़कर हमला किया/आपराधिक बल का प्रयोग किया?

- विवेचना एवं निष्कर्षा -

विचारणीय बिंदु कमांक 01 एवं 02

साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने तथा सुविधा की दृष्टि से दोनों विचारणीय बिंदुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

05— सकुनबाई बरबे अ.सा.02 ने अपने न्यायालयीन कथन में कहा है कि वह आरोपी गोकुल को जानती है। घटना लगभग एक वर्ष

प्रानी ग्राम करवाही में उसके घर की रात्रि 8-9 बजे की है। वह अपने बच्चों को खाना खिला रही थी और उसके पति टी.वी. देख रहे थे। उसने अपने पति से कहा कि पीछे बाथरूम चलते है, तब उसने अपने पति को लेकर पीछे बाथरूम के लिए गई तो देखा कि बाजू में खोली का दरवाजा खुला हुआ था। उसने कहा कि दरवाजा क्यों खुला है और जाकर लगा देती हूँ, तभी देखा कि आरोपी उस खोली के अन्दर से निकला और उसका गला दबाया और हाथ मरोड दिया। उसने चिल्लाई, तब उसके पति आये और आरोपी उसके पति को देखकर भाग गया था। गला दबाने और हाथ मरोडने का क्या कारण था, वह नहीं बता सकती। इसके बाद उसने बेहर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो प्र.पी.02 है। उसका सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में मुलाहिजा हुआ था। पुलिस ने उसके घर आकर उसकी निशादेही पर मौका-नक्शा प्रदर्श पी-03 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक 30. 11.2013 शनिवार के दिन की है, आरोपी ने बुरी नियत से उसके गले को एक हाथ से पकड़कर एवं दूसरे हाथ से उसके हाथ को पकड़कर मोड़ दिया था। उसके चिल्लाने पर उसके पति के अलावा मोहल्ले के धीरसिंह और कमलसिंह भी आये थे, जिन्होंने घटना देखी और सूनी है। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.04 पुलिस को देना व्यक्त किया।

06. सकुनबाई बरबे अ०सा०—2 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह और आरोपी एक ही ग्राम के निवासी है, उसकी सगी बहन प्रमिला का विवाह उसके पित के भाई के साथ हुआ था, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि आरोपी और उसकी बहन प्रमिलाबाई के प्रेम संबंध है तथा इसी शक के कारण उसकी आरोपी के साथ बोलचाल बंद है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वर्तमान में उसकी और उसके पित की आरोपी के साथ बोलचाल बंद है और एक दुसरे से रंजिश रखते हैं, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसकी बहन और आरोपी के बीच प्रेम संबंध के शक को लेकर उसका आरोपी के साथ घटना के पूर्व भी लड़ाई—झगड़ा हुआ था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आरोपी

के घर में गाय, बैल है और उसके घर के पीछे बाड़ी है, उस समय उसकी बाड़ी में सरसों की फसल लगी हुई थी।

सक्नबाई बरबे अ०सा०-2 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव 07-पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना के समय आरोपी की गाय उसकी बाड़ी में घस गई थी और आरोपी बाड़ी से गाय को भगा रहा था, तभी वह और उसके पति आ गये और उस समय उसके पति के हाथ में लाठी थी उस समय उसके पति ने आरोपी को लाठी से मारा और मॉ-बहन की गन्दी-गन्दी गालियां दी और उसके पति से लाठी छुडाने लगा और उसने आरोपी को पीछे से पकड़ लिया था तथा आरोपी ने वह लोगों को समझाने का प्रयास किया था, लेकिन वह लोग नहीं माने, वह लोग आरोपी को मारने के लिये होने लगे तब आरोपी को उसने पकड रखा था, तो वह अपने आप को छुडाने के प्रयास में लामा-झुमी में वह जमीन पर गिर गई थी. जिससे उसे चोट आयी थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी वहां से भागकर अपने घर चला गया था तथा दोनों की लामा-झुमी में आरोपी को भी चोट आई थी, किन्तू यह अस्वीकार किया है कि उन लोगों के खिलाफ आरोपी रिपोर्ट न कर दे. उससे बचने के लिये उन्होंने आरोपी के विरूद्ध झूठी रिपोर्ट दूसरे दिन की है।

08— सकुनबाई बरबे अ0सा0—2 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने घटना की रिपार्ट दूसरे दिन की है तथा वह अपने पित के साथ सलाह करके आरोपी के विरूद्ध दूसरे दिन रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसे घटना दिनांक याद नहीं है, उसने जो मुख्यपरीक्षण में बातें बतलाई वही बात अपने पुलिस कथन में बतलायी है, उसने अपने पुलिस कथन में यह बात लिखा दी थी कि वह अपने पित को लेकर बाथरूम गई थी, यदि उक्त बात न लिखी हो तो वह इसका कारण नहीं बता सकती, बच्चों को खाना खिला रही थी और उसके पित टी.वी. देख रहे थे, उक्त बात पुलिस को बता दी थी, यदि न लिखी हो तो, वह इसका कारण नहीं बता सकती, उसने चिल्लाया तो आरोपी उसके पित को देखकर भाग गया था, उक्त बात भी उसने पुलिस

को बता दी थी, यदि न लिखी हो तो, वह इसका कारण नहीं बता सकती, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि मौके पर गवाह कमलिसंह और धीरिसंह नहीं आये थे। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि मौका—नक्शा प्रपी03 पर हस्ताक्षर उसने थाने में किये थे, रिपोर्ट उसे पढ़कर नहीं सुनाये थे। साक्षी के अनुसार पढ़कर सुनाये थे। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसके साथ कोई घटना घटित नहीं हुई और ना ही आरोपी के साथ उसकी कोई पुरानी रंजिश है, इसलिये उसने उसके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है।

09— राजेन्द्र बरबे अ.सा.03 ने अपने न्यायालयीन कथन में कहा है कि वह आरोपी व प्रार्थी दोनों को जानता है। प्रार्थिया सकुनबाई उसकी पत्नि है। घटना माह नवंबर, 2013 की रात के समय की है। वह और उसकी पत्नि घर के आंगन में बाहर गये थे। उसकी पत्नि खोली का दरवाजा लगाने के लिये गई, तो खोली के अन्दर से गोकुल निकला और उसकी पत्नि का गला दबाकर हाथ मरोड़ दिया, जब उसकी पत्नि ने चिल्लाया तो वह दौड़कर गया और देखा तो आरोपी भाग गया था। उसके साथ घटना के समय धीरसिंह और कमलसिंह भी आये थे। रात्रि अधिक होने के कारण वह उसकी पत्नि के साथ दूसरे दिन रिपोर्ट दर्ज करवाने गया था। पुलिस ने उससे पूछताछ कर बयान लिये थे। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्रदर्श पी—05 के ए से ए भाग पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने ऐसे बयान पुलिस को देना स्वीकार कियार किया।

10— राजेन्द्र बरबे अ०सा०—3 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि वह और उसकी पिंत घर के बाहर आंगन से सामान अन्दर करने के लिये गये थे वाली बात उसने अपने पुलिस कथन में बता दी थी, उक्त बात उसके पुलिस कथन में न लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता। यह स्वीकार किया है कि वह और आरोपी एक ही ग्राम के निवासी है तथा प्रार्थिया की बहन प्रमिलाबाई का विवाह उसके भाई चमनलाल के साथ हुआ था, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि घटना के पूर्व से उसके और आरोपी के बीच बोलचाल बंद है तथा आरोपी और प्रमिलाबाई के बीच प्रेम संबंध है, इस बात को लेकर वह और उसकी

पत्नि शक करते है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वर्तमान में उसकी आरोपी से बोलचाल बंद है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि घटना के पूर्व भी उनका आरोपी के साथ लड़ाई—झगड़ा हुआ था। यह स्वीकार किया है कि उनके घर के पीछे बाड़ी है तथा उस समय उनकी बाड़ी में सरसों की फसल लगी हुई थी। यह स्वीकार किया कि आरोपी के घर में भी गाय, बैल है। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि आरोपी की गाय उनकी बाड़ी में घुस गई थी और आरोपी उक्त गाय को बाड़ी से भगा रहा था। यह स्वीकार किया कि उसके बाद वह और उसकी पत्नि आये थे।

राजेन्द्र बरबे अ0सा0–3 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना के समय उसके हाथ में लाठी थी तथा वह आरोपी को मॉ–बहन की गालियाँ देने लगा था और उसे लकडी से मारने के लिए होने लगा था. तब आरोपी उससे लकडी छुडाने लगा था, आरोपी को उसकी पत्नि ने पीछे से पकड लिया था और आरोपी ने उन लोगों को समझाने का प्रयास किया था और वह लोग नहीं माने, उसकी पत्नि ने आरोपी को पीछे से पकडकर रखी थी, उसे छुडाने के प्रयास में और लामा-झुमी में जमीन पर गिर गई थी और उसे चोट आयी थी। यह स्वीकार किया है कि आरोपी उन लोगों से छुटकर भाग गया था और अपने घर चला गया था। उसे नहीं मालूम की लामा-झुमी में आरोपी को चोटें आई थी या नहीं। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी उनके विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज न करा दे, इस कारण उन्होंने आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी तथा आरोपी ने उसकी पत्नि के साथ कोई छेडछाड नहीं किया था और उन्होंने आरोपी के खिलाफ गांव वालों से पति-पत्नि दोनों ने सलाह करके दूसरे दिन रिपोर्ट दर्ज कराई थी, ध ाटना के समय वहां पर कोई नहीं आया था, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उन लोगों ने आरोपी के विरूद्ध रंजिश होने के कारण झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है तथा प्रार्थिया सकुनबाई उसकी पत्नि होने के कारण वह उसके बताये अनुसार बयान दे रहा है।

12— कमलसिंह अ.सा.०५ ने अपने न्यायालयीन कथन में कहा है

कि वह आरोपी व प्रार्थिया दोनों को जानता है। घटना लगभग तीन वर्ष पूर्व रात्रि की है। वह रात्रि में अपने घर पर टी.वी. देख रहा था। आवाज सुनाई देने पर बाहर जाकर देखा कि सकुनबाई के घर से आवाज आ रही थी। उसने जाकर देखा तो झगडा शांत हो गया था। किस बारे में झगड़ा हुआ था, उसे इस बात की जानकारी नहीं है। इसके बाद वह घर वापस आ गया। इसके अतिरिक्त उसे घटना के संबंध में और कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे घटना के बारे में पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी का कथन है कि उसे ध्यान नहीं है कि घटना दिनांक 30.08.2012 की है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि सकुनबाई के घर से चिल्लाने की आवाज आई थी, तब वह उसके घर पहुंचा था, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि गोंकुल उसे देखकर वहां से भाग गया था और उसने गोकुल प्रसाद को सकुनबाई का गला दबाते हुये और हाथ पकड़ते हुये देखा था, जिसे राजेन्द्र छुड़ा रहा था, उसे सकुनबाई ने बताई थी कि वह पेशाब करने के बाद खोली का दरवाजा लगा रही थी कि खोली से गोकुल निकला और उसका गला एवं हाथ बुरी नियत से पकड़ लिया था। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रपी0-7 का ए से ए भाग पुलिस को नहीं देना बताया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि पुलिस वालों ने उससे कोई बयान नहीं लिये थे, कैसे लिख लिये, इसका वह कारण नहीं बता सकता।

13— डॉ० आर०के० चतुर्वेदी अ.सा.०१ ने अपने न्यायालयीन कथन में कहा है कि वह दिनांक 01.12.2010 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक शरद कमांक—158 थाना बैहर द्वारा आहत श्रीमित सकुनबाई को परीक्षण हेतु उसके समक्ष लाया गया था, जिसके परीक्षण पर उसने पाया कि एक खरोंच चिन्ह जो कि दाढ़ी के पास पाया था, जो कि मुंदी हुई चोट थी। उसके मतानुसार उक्त चोट साधारण प्रकृति की थी तथा किसी सख्त और बोथरे हथियार से पहुंचाई गई थी। उक्त चोट उसके परीक्षण के 24 घंटे के भीतर की थी तथा उक्त चोट पूरी तरह ठीक हो सकती थी, यदि किसी प्रकार का काम्प्लीकेशन न हो तो। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने अपने

प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उक्त चोट कठोर सतह वाली जमीन पर गिरने से आ सकती है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उक्त चोट स्वयं के द्वारा कारित करने से आ सकती है तथा उसने पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर परीक्षण रिपोर्ट तैयार की थी।

14— डॉ० एन.एस.कुमरे अ०सा०—4 ने अपने न्यायालयीन कथन में कहा है कि वह दिनांक 02.12.2013 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बैहर से पुलिस कांस्टेबल रोहित कमांक—1250 द्वारा आहत गोकुल प्रसाद को लाने पर उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया था। जांच में उसने कोई बाहरी चोट के निशान नहीं होना पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई मुलाहिजा रिपोर्ट प्रपी0—6 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

लखन भिमटे अ.सा.०६ ने अपने न्यायालयीन कथन में कहा है कि वह दिनांक 01.12.2013 को सहायक उपनिरीक्षक के पद पर थाना बैहर में पदस्थ था। उक्त दिनांक को सक्नबाई की सूचना पर आरोपी गोकुल के विरूद्ध धारा-456, 354 भा.द.वि. का अपराध कायम किया था, जो प्रपी-02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। सकुनबाई का मुलाहिजा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में किया गया था, जो प्र.पी.01 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही सकुनबाई की निशादेही पर घटनास्थल जाकर मौका-नक्शा प्र.पी.03 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। विवेचना के दौरान सकुनबाई, साक्षी कमलसिंह गोड़, धीरसिंह, राजेन्द्र के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था और उसमें अपने मन से कुछ घटाया बढाया नहीं था। दिनांक 02.12.2013 को आरोपी गोकूल पंचतिलक को गवाह सूरज एवं उदेलाल के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ़तारी पत्रक प्र.पी-08 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है एवं बी से बी भाग पर आरोपी गोकुल के हस्ताक्षर है। उसके द्वारा आरोपी गोकुल का मुलाहिजा करवाया गया था एवं गिरफ्तारी की सूचना उसके परिवार में दी गई थी, जो प्र.पी.09 एवं प्र.पी. 10 हैं, जिसके एं से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। विवेचना पूर्ण कर

चालान थाना प्रभारी के माध्यम से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

लखन भिमटे अ.सा.०६ ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि फरियादी सकुनबाई के प्र.पी.02 में भूलवश हस्ताक्षर नहीं करवाया है। यह अस्वीकार किया है कि उसने उक्त रिपोर्ट अपने मन से लेखबद्ध की थी। साक्षी के अनुसार फरियादी के बताये अनुसार ही लेखबद्ध किया था। यह अस्वीकार किया है कि उसने मौका-नक्शा प्रपी-03 थाने में बैटकर तैयार किया था। यह स्वीकार किया है कि फरियादी के मकान से संबंधित उसने कोई दस्तावेज जप्त नहीं किये थे। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि फरियादी के मकान से संबंधित दस्तावेज इसलिये जप्त नहीं किये थे, क्योंकि वहां ऐसी कोई घटना ही नहीं घटी थी, उसने अपने मन से गवाहों के बयान लेख कर लिये थे. साक्षी कमलसिंह ने कोई बयान नहीं दिया था। यह स्वीकार किया है कि यदि साक्षी कमलसिंह न्यायालय में विपरित कथन कर रहा हो तो वह इसका कारण नहीं बता सकता। यह अस्वीकार किया है कि उसने फरियादी के साथ मिलकर आरोपी के विरूद्ध झुटा प्रकरण दर्ज किया है तथा वह आरोपी को फंसाने के लिये न्यायालय में झुठे कथन कर रहा है।

17— धारा—354 भा.द.वि. के आरोप हेतु यह आवश्यक है कि हमला या आपराधिक बल का प्रयोग स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से किया गया हो। परिवादी सकुनबाई अ.सा.02 द्वारा अपने मुख्यपरीक्षण में यह व्यक्त किया गया है कि आरोपी के गला दबाने और हाथ मरोड़ने का कारण वह नहीं बता सकती। तत्पश्चात सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने आरोपी की नियत बुरी होना व्यक्त किया है। परिवादी के पति राजेन्द्र अ.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि आरोपी ने उसकी पत्नि के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया था और आरोपी उनके विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज न करा दे, इस कारण उन लोगों ने गांव वालों से सलाह करके रिपोर्ट दर्ज कराई थी। स्वतंत्र साक्षी कमलिसंह अ.सा.05 ने अपने परीक्षण में मात्र झगड़ा होने के कथन किए हैं।

- 18— प्रकरण की साक्ष्य का सूक्ष्मता से अवलोकन करने पर घटना किसी विवाद का परिणाम लगती है, क्योंकि अभियुक्त का आशय वास्तव में अभियोगी के लज्जा भंग का होता, तो उसके द्वारा शरीर के अन्य अंगों पर हमला किया जाता परिवादी की साक्ष्य तथा चिकित्सक साक्षी डॉ० आर०के० चतुर्वेदी अ.सा.०१ से उसकी चोटों की पुष्टि से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त द्वारा किसी विवाद में घटना कारित की गई, न कि लज्जा भंग के आशय से, जो कि स्वयं परिवादी के पति द्वारा स्वीकार किया गया है। उक्त साक्षी पर अविश्वास करना इसलिए उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि यह संभव नहीं कि कोई पति अपनी पत्नि की लज्जा भंग के तथ्य से मिथ्या इंकार कर दे, जिसका कोई कारण भी दर्शित नहीं है। महिला पर बल का प्रयोग मात्र धारा-354 भा.द.वि. का अपराध कारित नहीं करता, उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत <u>रामदास वि० पश्चिम</u> बंगाल राज्य ए.आई.आर.1954एस.सी.711 तथा एस.पी. मलिक वि० उड़ीसा राज्य 1982 सी.आर.एल.जे.19 अवलोकनीय है। स्वयं परिवादी ने अभियुक्त के कृत्य का कारण नहीं पता होना व्यक्त किया है, ततपश्चात सूचक प्रश्न पूछने पर बुरी नियत के औपचारिक कथन कर देने मात्र से अभियुक्त के आशय की उपधारणा नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रकरण में ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है। फलतः अभियुक्त का कृत्य मात्र सामान्य उपहति का सिद्ध होता है।
- 19— जहाँ तक रात्रि प्रच्छन्न अतिचार / गृहभेदन के आरोप का प्रश्न है, प्रकरण में यह दर्शित नहीं है कि अभियुक्त द्वारा अपनी उपस्थिति को छिपाने के लिए कोई सिक्वय कृत्य किया गया था और मात्र रात्रि में अपराध होने से उक्त आरोप सिद्ध नहीं होता। गृहभेदन के संबंध में भी प्रकरण में कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है। परिवादी सकुनबाई अ.सा.02 तथा राजेन्द्र बर्वे अ.सा.03 ने अभियुक्त द्वारा खोली के खुले दरवाजे से प्रवेश करने के अखण्डनीय कथन किये हैं। न्यायदृष्टांत जलदीपसिंह (1952)2 राजस्थान 745 के अनुसार जहाँ तक अभियुक्त रात के समय परिवादी के घर के अन्दर बलात्संग या कम से कम एक स्त्री की लज्जा भंग करने के लिए प्रविष्ट हुआ था और वहाँ पर यह दर्शित करने वाला कुछ न था कि अभियुक्त ने अपने गृह—अतिचार के कार्य को छिपाने के लिए कोई

पूर्वावधानी बरती थी, वहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया कि वह इस धारा के अधीन दोषी न होकर केवल धारा—451 के अधीन ही दोषी था। फलतः अभियुक्त के विरूद्ध धारा—456 भा.द.सं. के अपराध की कोई साक्ष्य न होने से उसका कृत्य मात्र 451 भा.द.सं. के अंतर्गत दर्शित होता है।

- 20— उपरोक्त विवेचना से अभियोजन यह संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि घटना दिनांक को अभियुक्त गोकुल द्वारा परिवादी सकुनबाई के घर में कारावास से दण्डनीय अपराध को करने के लिये गृह अतिचार कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की, क्योंकि परिवादी द्वारा अभियुक्त को कोई गंभीर या अचानक प्रकोपन दिया गया हो, ऐसा दर्शित नहीं है। अतः अभियुक्त गोकुल को भा.दं०सं० की धारा—451, 323 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।
- 21— आरोपी गोकुल द्वारा किये गए अपराध की प्रकृति को देखते हुए एवं इस प्रकार के अपराध से सामाजिक व्यवस्था के प्रभावित होने से उन्हें परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित नहीं होगा। अतः दण्ड के प्रश्न पर सुनने हेतु प्रकरण कुछ देर बाद पेश हो।

(अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट

पुनश्च-

- 22— दंड के प्रश्न पर आरोपी गोकुल के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनका कहना है कि आरोपी गोकुल का यह प्रथम अपराध है। आरोपी गोकुल एवं फरियादी पक्ष एक ही गांव के है। प्रकरण में फरियादी द्वारा आरोपी के साथ राजीनामा पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में उसके साथ नरमी का व्यवहार किया जावे।
- 23— बचाव पक्ष के तर्कों के आलोक में प्रकरण का अवलोकन किया गया। आरोपी के विरूद्ध कोई पूर्वदोषसिद्धि दर्शित नहीं है तथा उभयपक्ष के मध्य राजीनामा दर्शित है। ऐसी स्थिति में परिस्थितियों पर

विचार करते हुए आरोपी को शिक्षाप्रद दण्ड देना उचित प्रतीत होता है। अतः अभियुक्त गोकुल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—451 के अपराध के लिए न्यायालय उठने तक का कारावास तथा 1,000 / —(एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है तथा धारा—323 के अपराध के लिये 500 / —(पांच सौ) रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि न चुकाए जाने की दशा में आरोपी गोकुल को प्रत्येक अर्थदण्ड की राशि के लिये एक—एक माह का साधारण कारावास भुगताया जावे।

24- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

25— प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 02.12.2013 से दिनांक 03.12.2013 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहा हैं। इस संबंध में पृथक से धारा—428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

26— अभियुक्त को निर्णय की एक प्रति धारा—363(1) द.प्र.सं. के तहत् निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही / – (अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट मेरे बोलने पर टंकित किया।

— सही ∕ — छाबड़ा) (अमनदीपसिंह छाबड़ा) गणी, बैहर न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट